

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / रीडर / 2021 /

५४७

दिनांक ०९-१०-२०२१

मुकदमा नंबर 172/2020

पार्थी	वनाम	विप्रार्थीगण
1. सुशालसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा आधार न-9305 3601 0488 2. चतरसिंह पुत्र उदय सिंह जाति राजपुरोहित निवासी कानोडिया पुरोहितान तहसील बालेसर जिला जोधपुर आधार न-2025 5995 2161		1. खीमराज पुत्र वस्ता कौम पुरोहित निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा । 2. श्रीमती टपली देवी पत्नी घेवाराम कौम प्रजापत साकिन पाटोदी तहसील पचपदरा 3. खम्मा देवी पत्नीशंकरराम कौम प्रजापत साकिन पाटोदी तहसील पचपदरा । 4. बीजाराम पुत्र पेमाराम कौम सुथार साकिन भूंगरा गजसिंह नगर तहसील भोरगढ । 5. कलाराम पुत्र हिराराम कौम घांची साकिन बालोतरा तहसील पचपदरा । 6. शकरसिंह पुत्र ईश्वरसिंह कौम राजपुरोहित 7. गोपालसिंह पुत्र मालसिंह कौम राजपुरोहित 8. मदनसिंह पुत्र मालसिंह कौम राजपुरोहित 9. मोडसिंह पुत्र मालसिंह कौम राजपुरोहित 10. सुमेरसिंह पुत्र मालसिंह कौम राजपुरोहित साकिन बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर । 11. आयुक्त नगर परिषद बालोतरा । 12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जी पचपदरा



आदेश

दिनांक

उपरोक्त प्रकरण मौजा जैरला पटवार क्षेत्र रामसीन तहसील पचपदरा में मूल खसरा नंबर 678/118 रकबा 03.12 बीघा सरहद विवादित। भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)
उपस्थान्त अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक ९-१०-२०२१

क्रमांक / रीडर / 2021 /

५४७

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना
3. पटवारी क्षेत्र रामसीन तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।
4. पार्थीगण सुशालसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
5. विप्रार्थीगण खीमराज पुत्र वस्ता कौम पुरोहित निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा ।

(नरेश सोनी)
उपस्थान्त अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक 09-10-2021

रीडर / 2021 /

मुकदमा नंबर 172/2020

५८९

पार्थी

बनाम

विप्राथीगण

1. खुशालसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति
राजपुरोहित, निवासी बालोतरा तहसील
पचपदरा
आधार नं 9305 3601 0488
2. चतुरसिंह पुत्र उदय सिंह जाति
राजपुरोहित निवासी कानोडिया पुरोहितान
तहसील बालेसर जिला जोधपुर
आधार नं 2025 5995 2161

1. खीमराज पुत्र वस्ता कौम पुरोहित निवासी
बालोतरा तहसील पचपदरा ।
2. श्रीमती टपली देवी पत्नी घेवाराम कौम
प्रजापत साकिन पाटोदी तहसील पचपदरा
3. खम्मा देवी पत्नीशंकरराम कौम प्रजापत
साकिन पाटोदी तहसील पचपदरा ।
4. बीजाराम पुत्र पेमाराम कौम सुथार साकिन
भूंगरा गजसिंह नगर तहसील भोरगढ ।
5. कलाराम पुत्र हिराराम कौम घांची
साकिन बालोतरा तहसील पचपदरा ।
6. शकरसिंह पुत्र ईश्वरसिंह कौम
राजपुरोहित
7. गोपालसिंह पुत्र मालसिंह कौम
राजपुरोहित
8. मदनसिंह पुत्र मालसिंह कौम राजपुरोहित
9. मोडसिंह पुत्र मालसिंह कौम राजपुरोहित
10. सुमेरसिंह पुत्र मालसिंह कौम राजपुरोहित
साकिन बालोतरा तहसील पचपदरा जिला
बाडमेर ।
11. आयुक्त नगर परिषद बालोतरा ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जी
पचपदरा

आदेश

दिनांक

उपयुक्त प्रकरण मौजा जैरला पटवार क्षेत्र रामसीन तहसील पचपदरा में मूल खसरा नंबर
678/118 रकबा 03.12 बीघा सरहद विवादित। मूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया
जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/
पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व
पथगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के
मद्वेनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा
मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित
पुलिस थाना से प्राप्त करें।

क्रमांक / रीडर / 2021 /

५८९

दिनांक 09-10-2021

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थानाको पालना हेतू
3. पटवारी क्षेत्र रामसीन तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकॉर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. प्रार्थीगण खुशालसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
5. विप्राथीगण खीमराज पुत्र वस्ता कौम पुरोहित निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा ।

उपस्थित अधिकारी